

कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

क्रमांक/मा.चि./2017/ 1100

खण्डवा, दिनांक

08 FEB 2017

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल, बुरहानपुर

विषय — जिला बुरहानपुर वनमण्डल बुरहानपुर में भावसा मध्यम सिंचाई जलाशय परियोजना के वन प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भ — आपसे प्राप्त ऑन लाईन प्रस्ताव दिनांक 06.02.2017

—00—

विषयांकित प्रकरण के प्रस्ताव, जो कि ऑन लाईन दिनांक 06.02.2017 को इस कार्यालय में दर्शित हुये हैं। जिनका अवलोकन करने पर पार्ट II में निम्नानुसार कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गई हैं :—

1. पार्ट II के बिन्दु क्रमांक 1 (IV) में प्रस्तावित क्षेत्रफल 275.04 हेक्टर दर्शाया गया है, जबकि बिन्दु क्रमांक 2 Legal status में दर्शित क्षेत्रफल 274.04 हेक्टर होता है। इस त्रुटि को सुधार किया जावे।
2. बिन्दु क्रमांक 13 "Details of compensatory afforestation scheme" के अन्तर्गत बिन्दु क्रमांक (i) में आपके द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना का क्षेत्रफल 214.86 हेक्टर दर्शाया है, जबकि संलग्न कलेक्टर के आदेश में आपको 208.77 हेक्टर क्षेत्र ही हस्तांतरित किया गया है। तदनुसार सही-सही क्षेत्रफल की प्रविष्टि की जावे।
3. बिन्दु क्रमांक 13 "Details of compensatory afforestation scheme" के अन्तर्गत बिन्दु क्रमांक (iv) में इस कार्यालय से 208.77 हेक्टर क्षेत्र की ही वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राशि 459.38 लाख की इस कार्यालय से अनुमोदित करके भेजी गई है। तदनुसार आपके वनमण्डल एवं कटनी वनमण्डल की सही-सही राशि की प्रविष्टि की जाकर तकनीकी स्वीकृति भी संलग्न की जावे।
4. बिन्दु क्रमांक 16 Recommendation में आपके द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न की गई है, जबकि आपके द्वारा की गई अनुशंसा संलग्न की जावे।

अतः ऑन लाईन किये गये प्रस्तावों के भाग। एवं II के प्रत्येक बिन्दु का परीक्षण कर सही-सही जानकारी की प्रविष्टि की जावे तथा ऑन लाईन किये गये फार्म 'ए' के पार्ट-1 एवं 2 एवं उनके संलग्न अभिलेखों सहित हस्ताक्षर उपरांत 4 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित की जावे।

उपर्युक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति ऑन लाईन की जाना तत्काल सुनिश्चित करें तथा फार्म 'ए' के पार्ट 1 एवं 2 के सहित 4 प्रतियों में हस्ताक्षर सहित हार्ड कॉपी भेजना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

मुख्य वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा
8/2/17